तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 30/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11/10/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पैरोकार सरकार उपस्थित हैं। अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित है। इसकी वकील प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं हुये अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस धारा 212 रा.का. अधि. नियत है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस बाबत निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मनन तथा पैरोकार सरकार के कथन, बहस प्रार्थी वकील का मनन किया गया। अप्रार्थी सं 1 द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत जवाब पत्र, जो इस पत्रावली में जवाब के रूप में स्वीकार किया गया था के अध्ययन तथा बहस प्रार्थी के मनन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 रा. का. अधि. अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात में तस्फिया मूलवाद राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नत्थी क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)	